न्यायालय उपजिला कलैक्टर,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—पवन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—05/2017

आत्मासिंह पुत्र निरंजनसिंह जाति जटसिख निवासी 32 ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)

--- प्रार्थी

बनाम्

1. गुरचरणसिह पुत्र निरंजनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 32 ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर हाल बाबा प्रोपर्टीज गुरूनानक चौक, सुरजीत कॉलोनी गली नं.—10 श्री गंगानगर(राज.)
2. लाभसिंह
3. अकबालसिंह

   पिसरान निरंजनसिंह अवकौम जटसिख सकनाऐ 27 ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)
4. तहसीलदार (राजस्व), तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

----अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील—

1. श्री ब्रह्मानंद स्वामी एडवोकेट — प्रार्थी की ओर से
2. श्री जुल्फकार खां एडवोकेट — अप्रार्थी संख्या 1ता3 की ओर से

::निर्णय::

दिनांक 19.07.21

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता निरंजनसिंह के नाम से चक 3 एसजीआर खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ का मुरब्बा नं.—28/303 के 6 बीघा भूमि थी जो उन्होंने अपने जीवनकाल में 342000/—रूपये में बेचान कर दी। उस राशि से चक 32 ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—31 पत्थर सं.—351/439 के किला नं.—1 ता25 का 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड रकबा जलौरसिंह पुत्र प्रतापसिंह व बलराजसिंह पुत्र जलोरसिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 तहसील अनूपगढ़ से 400000/—रूपये में जरिये ईकरारनामा दिनांक—14.06.1995 को खरीद की थी। प्रार्थी के पिता निरंजनसिंह का देहान्त 2004 में हो गया। फलस्वरूप इस कृषि भूमि का बैयनामा जलौरसिंह पुत्र प्रतापसिंह व बलराजसिंह पुत्र जलौरसिंह ने इस रकबा के मूल आंवटी मालिक देशराज पुत्र जयचन्द जाति तरखान निवासी हलेर हाल दरकाटी तहसील ज्वाल जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश के नाम थी व जलौरसिंह ने इस देशराज से जमीन खरीद की हुई थी, फलस्वरूप प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या—1ता3 के पक्ष में बैयनामा के पक्ष में बैयनामा देशराज मूल अलॉटी से दिनांक 21.06.2013 को करवा लिया। जमाबंदी में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं.—1ता3 का नाम दर्ज हो गया। जमाबंदी की चित्रप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। चक 32 ए का पत्थर नं.—351/439 के 25 बीघा रकबा में 15 बीघा ही कमाण्ड है, बाकी अनकमाण्ड है। जमाबंदी मे पूर्ण रकबा कमाण्ड दिखाया गया है। परन्तु 15 बीघा का ही पानी बंधा हुआ है। जिसकी पानी पर्ची की चित्रप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी का भाई अप्रार्थी सं.—1 गुरचरणसिंह के हिस्सा में इस भूमि का 1/4 हिस्सा बनता है व इसी प्रकार प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण सं.—1ता3 का भी इस भूमि में 1/4 [illegible] बनता है। प्रार्थी का भाई शराब पीता है व अपनी पत्नी व बच्चों को भी [illegible] हिस्सा की भूमि को अन्य को बेचान भी करना चाहता है [illegible] ईकरारनामा भी अन्य के पक्ष में कर रखा है परन्तु [illegible] पुत्र [illegible]न्द्रपालसिंह व पुत्री तरनप्रीतकौर अपने पिता के हिस्सा की 1/4 हिस्सा की भूमि को अपनी देखरेख मे काश्त करवाते है व उन्होंने अपने पिता के विरूद्ध माननीय न्यायालय मे अधिकारों की घोषणा के लिए व भूमि नहीं बेचने के संबंध मे वाद भी पेश कर रखा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या—1ता3 की यह संयुक्त भूमि है जिसका लगान (राजस्व कर) सिंचाई कर आदि भरने में भी दिक्कत आती है, कोई भी राजस्व कर व सिंचाई कर सहमति से भरने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.09.07 15:05:46 IST
Reason: SelfAttested

को तैयार नहीं है। इसके अलावा जो रिकॉर्ड में कमाण्ड है परन्तु मौका पर अनकमाण्ड भूमि है जिसका संयुक्त रूप से किस्म के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य बंटवारा करवाया जाना न्यायोचित है क्यों कि हमारे बीच बैठकर बंटवारा नही हो सकता। इस संबंध में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं.–1ता3 को कई बार कहा एवं मार्च, 2017 में भी पंचायत हुई परन्तु उन्होनें बंटवारा करने से इंकार कर दिया एवं अप्रार्थी सं.–1 बिना बंटवारा ही अच्छी उपजाउ भूमि को बेचान करना चाहता है व जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है जिससे वादी व अप्रार्थीगण के मध्य तनाव व लड़ाई–झगड़े तक की नौबत आ चुकी है व किला नम्बर को लेकर भी विवाद रहता है इसलिए भी बंटवारा करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं यदि अप्रार्थी सं.–1 जिसने कि अपनी कृषि भूमि कीकरसिंह कम्बोसिख निवासी 2 पीजीएम को बेचान की है, कमाण्ड भूमि का बैयनामा कीकरसिंह के पक्ष में करवा देता है जिसकी उसने धमकी दे रखी है व भूमि को अन्यत्र बेचान करने पर उतारू है तथा जबरदस्ती कब्जा करने पर भी उतारू है यदि ऐसा करने मे कामयाब हो गया तो उसे वादी/ प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण संख्या–1ता3 को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं आंका जा सकेगा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1ता3 ने प्रकरण में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण सगे भाई है। राजस्व रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है। चक 32 ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–31 पत्थर सं.–351/439 का किला नं.–1ता25 कुल 6. 325 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि प्रार्थी व हम अप्रार्थीगण के नाम मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड संयुक्त रूप से दर्ज है। उक्त कृषि भूमि में से किला नं. –7ता9,11ता14,17ता24 कुल 15 बीघा सीएडी(सिंचाई विभाग) में कमाण्ड है व किला नं. –1ता6,10,15,16,25 कुल 10 बीघा सीएडी (सिंचाई विभाग) मे अनकमाण्ड है वा 15 बीघा का ही पानी चालू है। कानूनी तौर पर कमाण्ड या अनकमाण्ड दोनों में ही प्रार्थी व हम अप्रार्थीगण का अलग–अलग हिस्सा बनता है। इसी अनुसार ही कमाण्ड व अनकमाण्ड भूमि के अनुसार ही खाता विभाजन किया जाना कानूनी तौर पर सही है। इसके अलावा सभी हिस्सेदारों का बंटवारा इस अनुसार हो कि प्रत्येक हिस्सेदार की कमाण्ड या अनकमाण्ड भूमि पास में चिपती हो वा अच्छी वा मंदी किस्म अनुसार ही विभाजन हो ताकि किसी को नुकसान ना हो वा सभी पक्षकार को सुविधा हो वा विवाद भी ना हो व खाता विभाजन किया जावें।

प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण संख्या 1ता3 के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता का कहना है कि विवादित भूमि संयुक्त खाता की है जिसका अभी तक विभाजन नही हुआ है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1ता3 विवादित कृषि भूमि के सह–काश्तकार व सह–खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 01 ने बिना विभाजन करवाये अपने हिस्सा की भूमि जरिये बैयनामा कीकर सिंह को विक्रय कर दी है तथा अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा अपने हिस्सा का बैचान कीकरसिंह को किये जाने के उपरान्त उक्त व्यक्ति अब बल पूर्वक अपनी मनमर्जी अनुसार विशिष्ठ किला की भूमि पर बिना विभाजन करवाये काबिज होने के प्रयासरत है। अभी तक स्थिति स्पष्ट नही है कि किस हिस्सा व किस किला पर किस हिस्सेदार का कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 01 को यह अधिकार नही है कि विशिष्ठ किलाजात का कब्जा प्राप्त करे और प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास करे। यदि अप्रार्थी संख्या 01 ऐसा करता है तो अपराधिक मुकदमेबाजी होगी। ना ही अप्रार्थी संख्या 1 बिना विभाजन करवाये अपनी भूमि का विक्रय कर सकती है इस [illegible] कृषि भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व प्रार्थी [illegible] की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि विवादित [illegible] अप्राार्थी संख्या 1ता3 अपने–अपने हिस्सा अनुसार काबिज काश्त है। अप्रार्थी सं. [illegible] संयुक्त खाता की उक्त भूमि में से विशिष्ठ किलाजात पर कब्जा करने का प्रयासरत नही है और ना ही अप्रार्थी सं. 01 ने अपनी मनमर्जी से जहां जमीन अच्छी लगेगी उन विशिष्ठ किलाजात पर अपना कब्जा करने या प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी है। प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होने कतई संभावना नहीं है प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1ता3 विवादित कृषि भूमि के सह खातेदार एवं सह काश्तकार कृषि हैं। काननून सह–काश्तकार के विरूद्ध स्थगन स्वीकार नहीं किया जा सकता। अप्रार्थीगण सह–काश्तकार हैं तथा सह–काश्तकारान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.09.07 15:05:46 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्ध किसी प्रकार की अनिषेधाज्ञा या स्थगन प्रदान नहीं किया जा सकता और ना ही सह–काश्तकारान को अपने हिस्सा भूमि का विक्रय करने/हस्तान्तरित करने से निर्बन्धित नहीं किया जा सकता है। संयुक्त सम्पत्ति के सभी सह–अंशधारी कब्जा में होने माने जाते हैं तथा सह–स्वामी/सह–काश्तकार बिना विभाजन के अपने हिस्से की सम्पत्ति को विक्रय करने के हकदार है प्रथम दृष्ट्या प्रकरण तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थी के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से हैः–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– यह कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाता की सम्पति है। जिसमे प्रार्थीगण का हित निहित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते है तथा अप्रार्थीगण को इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहते है कि वे अपनी भूमि विक्रय या हस्तान्तरित नहीं करे। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सह–खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता और ना ही सह–खातेदार काश्तकार को उसके हिस्से की भूमि का बेचान करने से निर्बन्धित किया जा सकता है। सह–खातेदार बिना विभाजन करवाये अपनी सम्पति को विक्रय करने अथवा काश्त करने के हकदार है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने या अप्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि विक्रय/हस्तान्तरित व काश्त करने से निर्बन्धित करवाने के अधिकारी नही है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस के तथ्यों से भी उक्त तथ्य व विधिक सिद्धान्तों को बल मिलता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

सुविधा का संतुलन:–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नही होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी के अपेक्षा अप्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थी संख्या 1ता3 अपनी जरूरतो से वंचित हो जावेगें एवं अप्रार्थीगण कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगें। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

अपूर्णीय क्षति:–प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थी अपने पक्ष में दोनो बिन्दू साबित करने में असफल रहे है। अप्रार्थीगण जो कि सह–खातेदार काश्तकार है इस स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगें। जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आध[illegible]करण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध तय कि[illegible]गये। प्रार्थीगण न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के [illegible] नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज.काश्त अधिनियम खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pavan Kumar
Date: 2021.09.07 15:05:46 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक **19.07.2021** को सरे इजलास सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़